



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062026-273479
CG-DL-E-16062026-273479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकारसे प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 409]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948

No. 409]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISHTHA 19, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2026

सा.नि.का. 456(अ).— केंद्रीय सरकार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1972 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियमावली, 2026 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. सामुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1972 (इसे यहां बाद में मूल नियमों के रूप में संदर्भित किया गया है) में नियम (33 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“पंजीकरण के लिए आवेदन- . (1) निम्नलिखित -

(क) एक फिशिंग वैसल;

(ख) एक प्रसंस्करण प्लांट;

(ग) समुद्री उत्पादों के लिए भंडारण परिसर;

- (घ) समुद्री उत्पादों के परिवहन के लिए प्रयुक्त वाहन;
 (ङ.) पीलिंग शेड;
 (च) ताजा, चिल्ल, जीवित या सूखी मछली हैंडलिंग केंद्र;
 (छ) स्वतंत्र या साझा आइस प्लांट;
 (ज) अन्य खाद्य समुद्री उत्पाद हैंडलिंग केंद्र; या
 (झ) अन्य गैर-खाद्य समुद्री उत्पाद हैंडलिंग केंद्र,

के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्रपत्र I, प्रपत्र II, प्रपत्र III, प्रपत्र IV, प्रपत्र II (क), प्रपत्र II (ख), प्रपत्र II (ग), प्रपत्र II (घ), प्रपत्र II (ङ), प्रपत्र II (च) या प्रपत्र II (छ) में, जैसा भी मामला हो, सचिव, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अन्तर्गत प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रपत्र के समक्ष कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट शुल्क अदा किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्र सं.	प्रपत्र	शुल्क
(1)	(2)	(3)
I	पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन	
(1)	प्रपत्र II, II(क), II (ख), II (ग), II (घ), II (ङ), II (च), II (छ), III, IV, IX, XI के लिए	₹ 200
(2)	फिशिंग वैसल के लिए आवेदन (प्रपत्र I) के लिए	₹ 100
II	निर्यातक का पंजीकरण (प्रपत्र X)	
(1)	निर्यातक पंजीकरण शुल्क	₹ 5000
III.	डीलर का पंजीकरण (प्रपत्र XII)	
(1)	डीलर पंजीकरण शुल्क	₹ 5000
IV	फिशिंग वैसल (प्रपत्र V)	
(1)	45 फीट तक लंबे फिशिंग वैसल का पंजीकरण	₹ 1000
(2)	45 फीट और उससे अधिक कुल लंबाई वाले फिशिंग वैसल का पंजीकरण	₹ 2000
V	भंडारण (प्रपत्र VII)	
(1)	50 टन तक की क्षमता वाले चिल्ल और फ्रोजन भंडारण	₹ 3000
(2)	50 टन और उससे अधिक क्षमता वाले चिल्ल और फ्रोजन भंडारण	₹ 5000
(3)	50 टन तक की क्षमता वाले चिल्ल और फ्रोजन भंडारण के अतिरिक्त	₹ 1000
(4)	50 टन से अधिक क्षमता वाले चिल्ल और फ्रोजन भंडारण के अतिरिक्त	₹ 2000
VI	प्रसंस्करण संयंत्र (प्रपत्र VI)	
(1)	प्रसंस्करण संयंत्र जिसमें 5 टन तक कच्चे माल को संभालने की प्रसंस्करण क्षमता हो (प्रति 8 घंटे की शिफ्ट)	₹ 2500
(2)	प्रसंस्करण संयंत्र जिसमें 5 टन से अधिक कच्चे माल को संभालने की प्रसंस्कृत क्षमता हो (प्रति 8 घंटे की शिफ्ट)	₹ 5000
VII	पीलिंग शेड (प्रपत्र संख्या VI (क))	
(1)	पीलिंग शेड जिसमें प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 5 टन तक कच्चा माल संभालने की क्षमता हो	₹ 1500
(2)	पीलिंग शेड जिसमें प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 5 टन से ज़्यादा कच्चा माल संभालने की क्षमता वाला	₹ 3000
VIII	स्वतंत्र/साझा आइस प्लांट (प्रपत्र संख्या VI(ङ))	
(1)	10 मीट्रिक टन/दिन तक के आइस प्लांट का पंजीकरण शुल्क	₹500
(2)	10 मीट्रिक टन/दिन से ज़्यादा के आइस प्लांट का पंजीकरण शुल्क	₹1000

IX	हैंडलिंग केंद्र (प्रपत्र संख्या VI(ख), प्रपत्र संख्या VI (ग), प्रपत्र संख्या VI (घ))	
(1)	हैंडलिंग केंद्र जिसमें प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 5 टन तक ताज़ी/चिल्ड मछली संभालने की क्षमता हो	₹ 1500
(2)	हैंडलिंग केंद्र जिसमें प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 5 टन से ज़्यादा ताज़ी/चिल्ड मछली संभालने की क्षमता हो	₹ 3000
(3)	हैंडलिंग केंद्र, जिसमें प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 5 M ³ तक की मात्रा में जीवित मछलियों को संभालने की क्षमता हो	₹ 1500
(4)	हैंडलिंग केंद्र, जिसमें प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 5 M ³ से ज़्यादा मात्रा में जीवित मछलियों को संभालने की क्षमता हो	₹ 3000
(5)	हैंडलिंग केंद्र, जिसमें प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 1 टन तक सूखे/नमकीन समुद्री उत्पादों को संभालने की क्षमता हो	₹ 1500
(6)	हैंडलिंग केंद्र, जिसमें प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 1 टन से ज़्यादा सूखे/नमकीन समुद्री उत्पादों को संभालने की क्षमता हो	₹ 3000
(7)	हैंडलिंग केंद्र, जिसमें 8 घंटे की शिफ्ट में अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों की 1 टन तक उत्पादन क्षमता हो	₹ 3000
(8)	हैंडलिंग केंद्र, जिसमें 8 घंटे की शिफ्ट में अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों की 1 टन से ज़्यादा उत्पादन क्षमता हो	₹ 6000
(9)	हैंडलिंग केंद्र, जिसमें 8 घंटे की शिफ्ट में अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पादों की 1 टन तक की उत्पादन क्षमता हो	₹ 2000
(10)	हैंडलिंग केंद्र, जिसमें प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पादों की 1 टन से ज़्यादा उत्पादन क्षमता हो	₹ 4000
X	परिवहन (प्रपत्र VIII)	
(1)	प्रति परिवहन	₹ 1500
XI	पंजीकरण का नवीकरण	
(1)	20 मीटर कुल लंबाई तक के फिशिंग वैसल को छोड़कर सभी नवीकरण	₹ 1000
(2)	20 मीटर कुल लंबाई तक के फिशिंग वैसल को छोड़कर नवीकरण	₹ 250
(3)	आइस प्लांट का नवीकरण	₹250
(4)	अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों के लिए, प्रति 8 घंटे की एक शिफ्ट में 1 टन तक उत्पादन क्षमता वाले हैंडलिंग केंद्र का नवीकरण	₹1500
(5)	अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों के प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 1 टन से ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाले हैंडलिंग केंद्र का नवीकरण	₹3000
(6)	अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पादों के प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 1 टन तक की उत्पादन क्षमता वाले हैंडलिंग केंद्र का नवीकरण	₹1000
(7)	अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पादों के प्रति 8 घंटे की शिफ्ट में 1 टन से ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाले हैंडलिंग केंद्र का नवीकरण	₹2000
(8)	डीलर पंजीकरण का नवीकरण	₹ 1000
XII	निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र में अनुमोदन	
(1)	व्यापारी निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र में प्रसंस्करण प्लांट/हैंडलिंग सुविधा केन्द्र/भंडारण परिसर आदि के उपयोग का अनुमोदन	₹ 5000
(2)	प्रसंस्करण प्लांट/हैंडलिंग सुविधा केन्द्र/भंडारण परिसर आदि के प्रमाणपत्र में व्यापारी/ विनिर्माता निर्यातक के नाम का अनुमोदन	₹ 5000
(3)	निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र में प्रसंस्करण प्लांट/हैंडलिंग सुविधा केन्द्र के साथ प्रसंस्करण समझौते के समय पूर्व रद्दीकरण का अनुमोदन	₹ 5000
(4)	प्रसंस्करण प्लांट/हैंडलिंग सुविधा केन्द्र के प्रमाणपत्र में निर्यातक के साथ प्रसंस्करण समझौते के समय-पूर्व रद्दीकरण का अनुमोदन	₹ 5000
(5)	भंडारण परिसर के प्रमाणपत्र में निर्यातक के साथ भंडारण समझौते के समय पूर्व रद्दीकरण का अनुमोदन	₹ 5000
(6)	पंजीकरण के संबंध उपर्युक्त के अतिरिक्त कोई अन्य अनुमोदन	₹ 1000
XIII	इकाइयों का हस्तांतरण	
(1)	प्रसंस्करण संयंत्र, भंडारण परिसर या परिवहन, फिशिंग वैसल की विक्री, गिरवी या अन्य माध्यम से	₹ 1000

	हस्तांतरण	
XIV	फिशिंग वैसल के पंजीकरण प्रमाणपत्र में सम्मिलित विवरणों में परिवर्तन	
(1)	20 मीटर कुल लंबाई तक के फिशिंग वैसल को छोड़कर सभी इकाइयों के पंजीकरण प्रमाणपत्र में विवरणों में परिवर्तन	₹ 1000
(2)	20 मीटर कुल लंबाई तक के फिशिंग वैसल के पंजीकरण प्रमाणपत्र में विवरणों में परिवर्तन	₹ 250
XV	फिशिंग वैसल, प्रसंस्करण संयंत्र आदि के पंजीकरण प्रमाणपत्र में परिवर्तन	
(1)	20 मीटर कुल लंबाई तक फिशिंग वैसल के पंजीकरण प्रमाणपत्र संबंधी किसी भी प्रकार का अनुमोदन	₹ 250
(2)	प्रसंस्करण संयंत्र का अनुमोदन या पंजीकरण	₹ 1000
(3)	उत्पादन इकाइयों के स्वामित्व परिवर्तन का अनुमोदन	₹ 1000
(4)	20 मीटर कुल लंबाई तक के फिशिंग वैसल को छोड़कर पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल अन्य किसी भी विवरण में परिवर्तन का अनुमोदन	₹ 1000
(5)	20 मीटर कुल लंबाई तक के फिशिंग वैसल को छोड़कर वित्तीय संस्थानों के मालबंधन/लीन नोटिंग में परिवर्तन	₹ 1000
(6)	प्रसंस्करण संयंत्र के पंजीकरण प्रमाणपत्र में पट्टेदार का अनुमोदन	₹ 1000
(7)	अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों के 8 घंटे की शिफ्ट में 1 टन तक उत्पादन क्षमता वाले हैंडलिंग केंद्र का अनुमोदन	₹ 1000
(8)	अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों के 8 घंटे की शिफ्ट में 1 टन से ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाले हैंडलिंग केंद्र का अनुमोदन	₹ 2000
(9)	अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पादों के 8 घंटे की शिफ्ट में 1 टन तक की उत्पादन क्षमता वाले हैंडलिंग केंद्र का अनुमोदन	₹ 1000
(10)	8 घंटे की शिफ्ट में 1 टन से ज़्यादा उत्पादन क्षमता वाले अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पादों के हैंडलिंग केंद्र का अनुमोदन	₹ 2000
(11)	डीलर पंजीकरण प्रमाणपत्र में अनुमोदन	₹ 1000
(12)	अतिरिक्त क्षमता का अनुमोदन	₹ 1000
(13)	फर्म/कंपनी की संरचना में परिवर्तन का अनुमोदन	₹ 1000
(14)	अन्य कोई अनुमोदन	₹ 1000".

3. मूल नियमावली में, नियम 34 में उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) जहाँ पंजीकरण के लिए किया गया आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है, वहाँ उपयुक्त प्रपत्रों अर्थात् प्रपत्र V, प्रपत्र VI, प्रपत्र VII, प्रपत्र VIII, प्रपत्र VI (क), VI (ख), VI (ग), VI (घ), VI (ङ), VI (च) या VI (छ), जैसा भी लागू हो, में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा और यह संबंधित प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अध्यधीन होगा।

4. मूल नियमावली में, नियम 38 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“38. पंजीकृत इकाइयों के स्वामित्व का हस्तांतरण। – (1) जहाँ नियम 33 के तहत पंजीकृत किसी इकाई को विक्री, गिरवी या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित किया जाता है, वहाँ हस्तांतरी ऐसे हस्तांतरण की तिथि से एक माह के भीतर, ऐसे हस्तांतरण के प्रमाणस्वरूप साधनों या दस्तावेजों के साथ, हस्तांतरण पंजीकरण के लिए सचिव, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को आवेदन करेगा।”

5. मूल नियमावली में, नियम 39 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) जहाँ नियम 33 के अंतर्गत किसी इकाई का पंजीकरण प्रभावी अवधि में है, उस अवधि के दौरान यदि उसका स्वामी निम्नलिखित का इरादा रखता है -

- (क) उस स्थान को बदलना जहाँ इकाई स्थित है;
- (ख) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नक्शे में परिवर्तन करना;
- (ग) उसकी क्षमता में या अन्य किसी प्रकार का परिवर्तन करना; या
- (घ) फिशिंग वैसल या परिवहन के संचालन स्थान को बदलना,

तो स्वामी को ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन से कम से कम तीस दिन पूर्व सचिव, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को आवेदन करना होगा।

6. मूल नियमावली में, नियम 41 में, (i) उप-नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित अन्तर्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1क) निर्यातक के अलावा समुद्री उत्पादों के डीलर के रूप में पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, ऑनलाइन उपलब्ध प्रपत्र XI में, दो सौ रुपये मात्र शुल्क के भुगतान पर सचिव, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके साथ आवेदक की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाला किसी भी बैंक से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।”

(ii) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(2) उप-नियम (1) और (1क) के अंतर्गत पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ पांच हजार रुपये मात्र का शुल्क अदा किया जाएगा।”

7. मूल नियमावली में, नियम 42 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) जहाँ पंजीकरण के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है, सचिव, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, प्रपत्र X या प्रपत्र XII में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे, जो उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन होगा।”

8. मूल नियमावली में, नियम 43 को तत्संबंधी उप-नियम (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनः क्रमांकित उप-नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अन्तर्निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(2) जहां सचिव, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को विश्वास हो कि किसी व्यक्ति ने गलत सूचना देकर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है अथवा उसने इन नियमों के प्रावधानों अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है, तो ऐसा व्यक्ति डीलर के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

(3) सचिव, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा, पंजीकरण रद्द कर सकते हैं और ऐसे आदेश की एक प्रति भेज सकते हैं।”

9. मूल नियमों में, नियम 45 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“45. अभिलेखों का रखरखाव.- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सचिव सभी पंजीकृत संस्थाओं के ऑनलाइन अभिलेखों का रखरखाव करेंगे जिनमें पंजीकरण, संशोधन, हस्तांतरण, रद्द करने और उनसे जुड़ी शर्तों का विवरण शामिल होगा।

10. मूल नियमों में, प्रपत्र-II(घ) के पश्चात, निम्नलिखित प्रपत्र जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

“प्रपत्र-II (ड)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972

(नियम 33 देखें)

स्वैच्छिक पंजीकरण योजना के तहत स्वतंत्र / साझा आइस प्लांटों के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

1. सामान्य जानकारी

- 1.1 आइस प्लांट का नाम और पता :
- 1.2 आइस प्लांट के मालिक का नाम और पता :
- 1.3 स्वतंत्र/साझा आइस प्लांट की स्थिति (एकल स्वामित्व / साझेदारी फर्म / प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड कंपनी) :
- 1.4 स्वतंत्र/साझा आइस प्लांट का स्थान :
- क) द्वार सं. :
- ख) प्लॉट का सर्वेक्षण संख्या :
- ग) वार्ड संख्या :
- घ) गली / सड़क का नाम :
- ड) तालुका, जिला और पिन कोड :
- 1.5 संचार सुविधाओं का विवरण :
- क) दूरभाष संख्या :
- ख) फ़ैक्स संख्या, यदि कोई हो :
- ग) ई-मेल, यदि कोई हो :
- 1.6 क्या आइस प्लांट में बर्फ के उत्पादन के लिए ऑनलाइन गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है :
- 1.7 आइस प्लांट में कर्मचारियों की संख्या :
- क) पर्यवेक्षक :
- ख) श्रमिक :

2. परिवेश

- 2.1. क्या आइस प्लांट ऐसे स्थान पर स्थित है जो जमे हुए पानी से मुक्त है तथा सामान्यतः पर्यावरणीय प्रदूषकों से मुक्त है :
- 2.2. क्या आइस प्लांट में उत्पादित बर्फ के संदूषण के जोखिम को रोकने के लिए पहुँच मार्ग एवं आसपास का वातावरण उपयुक्त है :
- 2.3. क्या आइस प्लांट परिसर के चारों ओर एक बाड़ (अर्थात्, जमीन को घेरने वाली एक चारदीवारी) बनी हुई है :

3. आइस प्लांट

- 3.1. इकाई में निर्मित बर्फ के प्रकार का उल्लेख करें (ब्लॉक आइस, रैपिड ब्लॉक आइस, फ्लेक आइस, प्लेट आइस अथवा ट्यूब आइस) :
- 3.2. आइस प्लांट की क्षमता (मीट्रिक टन/ दिन) :
- 3.3 सिविल संरचना का विवरण :
- क) आरसीसी / टाइल वाली छत :
- ख) आइस प्लांट के आयाम :
- (i) लंबाई मीटर में :

- (ii) चौड़ाई मीटर में :
- (iii) ऊँचाई मीटर में :
- 3.4. आइस टैंक का साइज़ :
- i) लंबाई मीटर में :
- ii) चौड़ाई मीटर में :
- iii) ऊँचाई मीटर में :
- 3.5. आइस कैन का साइज़ :
- i) लंबाई मीटर में :
- ii) चौड़ाई मीटर में :
- iii) ऊँचाई मीटर में :
- 3.6. क्या आइस कैन जंग-रोधी और संदूषण रहित सामग्री से बने हैं? :
- 3.7. क्या आइस कैनों पर लगाए गए ढक्कन जंग-रोधी और गैर-संदूषणकारी सामग्री से बने हैं? :
- 3.8. क्या आइस उत्पादन क्षेत्र पक्षियों, जानवरों और चूहों से सुरक्षित है? :
- 3.9. क्या आइस को स्वच्छ तरीके से निकालने की व्यवस्था है? :
- 3.10. क्या आइस के स्वच्छतापूर्वक भंडारण की कोई व्यवस्था है? :
- 3.11. क्या आइस को स्वच्छ तरीके से परिवहन करने की व्यवस्था है? कृपया सुविधा का विवरण दें: :
- 3.12. आइस प्लांट में उपयोग किया जाने वाला रेफ्रिजरेट कौन-सा है? :
- 3.13. यदि फ्रिऑन का उपयोग फ्रीज़ेंट के रूप में किया जाता है, तो क्या फ्रीज़ेंट के रिसाव को न्यूनतम करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं? :
- 3.14. मशीनरी और सुविधाओं का विवरण :
 कंप्रेसरों की संख्या, उनकी क्षमता और निर्माता सहित: :
 मोटरों की संख्या, उनकी क्षमता और निर्माता सहित: :
 पानी के पंपों की संख्या, उनकी क्षमता और निर्माता सहित: :
 कंडेनसर अपनी क्षमता और निर्माता सहित: :
 अन्य वस्तुएँ (यदि कोई हों): :
- 3.15. क) क्या आइस प्लांट का डिज़ाइन और ले-आउट अच्छी स्वच्छता पद्धतियों की अनुमति देता है, जिसमें क्रॉस संदूषण से सुरक्षा भी शामिल है। :
 ख) क्या आवेदन के साथ ले-आउट की एक प्रतिलिपि संलग्न है? :
- 3.16. क्या वे सतहें, जो आइस और आइस बनाने में उपयोग होने वाले पानी के संपर्क में आएंगी, टिकाऊ, चिकनी, गैर-शोषक, गैर-विषाक्त तथा साफ करने और कीटाणुरहित करने में आसान हैं? :

.4पानी

- 4.1 आइस प्लांट में आइस उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का स्रोत क्या है? :
- 4.2. क्या आइस उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी का पोटेबिलिटी प्रमाणपत्र सीआईएफटी या एमपीईडीए या किसी दूसरी एजेंसी से प्राप्त किया गया हो, संलग्न किया गया है? :
- 4.3. क्या आइस उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी और सफाई, अग्निशमन आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी के लिए अलग-अलग प्लंबिंग प्रणाली हैं? यदि हाँ, तो क्या प्लंबिंग डायग्राम की प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न की गई है ?

.5स्वच्छता और सैनिटरी स्थितियाँ

- 5.1. क्या आइस प्लांट में शौचालय उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो क्या उनके दरवाजे स्वचालित रूप से बंद होने वाले हैं :
- 5.2. क्या साबुन, कीटाणुनाशक और तौलिए उपलब्ध कराए गए हैं :
- 5.3. क्या श्रमिकों के लिए चेंजिंग रूम हैं :

6. कार्मिक स्वच्छता

- 6.1. क्या हाथ और पैर धोने की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं :
- 6.2. क्या श्रमिकों को गमबूट, दस्ताने और काम करने के साफ कपड़े प्रदान किए गए हैं :
- 6.3. क्या श्रमिक संक्रामक रोगों से मुक्त हैं :

7. रखरखाव, सफाई और कीटाणुशोधन

- .7.1. क्या मशीनरी, कैन और आइस ब्लॉक निकालने के उपकरणों का सही तरीके से रखरखाव किया जाता है और उन्हें साफ रखा जाता है :

8. अभिलेख

- 8.1. क्या पानी और आइस के उत्पादन, आपूर्ति के लिए संपर्क व्यवस्था और गुणवत्ता आश्वासन से संबंधित विवरण वाला रजिस्टर रखा जाता है? :
- 8.2. क्या आइस उत्पादन लिए उपयोग किए जाने वाले पानी और आइस प्लांट में उत्पादित आइस की समय-समय पर आवश्यक सूक्ष्मजैविक मानकों के लिए परीक्षण किया जाता है और क्या इस संबंध में प्रमाण पत्र बर्फ संयंत्र में रखा जाता है? :

9. कोई अन्य जानकारी

- 9.1. क्या स्थानीय निकाय से आइस प्लांट चलाने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है? :
- 9.2. क्या पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें :

आवेदक के हस्ताक्षर

[मुहर]

स्थान :

दिनांक :

प्रपत्र II (च)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972

(नियम 33 देखें)

अन्य समुद्री उत्पादों के प्रबंधन (खाद्य), प्रसंस्करण, पैकेजिंग और भंडारण के लिए सुविधा केंद्र के पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र

1. आवेदक का पूरा नाम एवं पता :
2. स्वामी / साझेदारों / निदेशकों (जो भी लागू हों) का नाम एवं आवासीय पता :
3. सुविधा केंद्र की स्थिति साझेदारी फर्म या/स्वामित्व वाली) :
प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक/लिमिटेड कंपनी(
4. सुविधा केंद्र का स्थान :
i. द्वार संख्या :
ii. भूमि का सर्वेक्षण संख्या :
iii. वार्ड संख्या :
iv. गली / सड़क का नाम :
v. तालुक एवं जिला :
5. संचार सुविधाओं का विवरण :
i. दूरभाष संख्या :
ii. फैक्स संख्या, यदि कोई हो :
iii. ई-मेल :
iv. स्वामी / प्रबंध साझेदार का मोबाइल नं. :
6. भवन संरचना का विवरण :
i. आरसीसी / टाइलयुक्त छत :
ii. फर्श का प्रकार (टाइलयुक्त अथवा सीमेंट फर्श) :
iii. प्रसंस्करण क्षेत्र / पैकिंग हॉल / प्रसंस्करण-पैकिंग हॉल के क्षेत्रफल का विवरण :
क) लंबाई (मीटर में) :
ख) चौड़ाई (मीटर में) :
ग) ऊँचाई (मीटर में) :
घ) प्रसंस्करण / पैकिंग क्षेत्र (वर्ग मीटर में) :
7. मक्खी-रोधी व्यवस्था का विवरण :
8. अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों हेतु सुविधा में उपलब्ध मशीनरी, उपकरण एवं बर्तनों का विवरण :
9. कर्मचारियों की संख्या :
क) कर्मचारियों की संख्या :
ख) पर्यवेक्षकीय :
ग) श्रमिक :
घ) प्रबंधकीय :
10. क्या पृथक शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं? यदि हाँ, तो क्या उनके दरवाजे स्वचालित रूप से बंद होने वाले प्रकार के हैं :

- .11क्या सुविधा केंद्र में पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध है :
(आईएस 4251:2015 के अनुसार)
- .12उत्पादित अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों का विवरण :
13. अपनाई गई प्रसंस्करण एवं संरक्षण विधियाँ (कृपया फ्लो डायग्राम संलग्न करें) :
- .148 घंटे की एक शिफ्ट में पैक किए जा सकने वाले अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों की अधिकतम मात्रा :
- .15क्या सुविधा केंद्र क्रम संख्या 12 में उल्लिखित अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों हैं / नहीं के प्रसंस्करण से उत्पन्न अपशिष्ट सामग्री से अन्य (अखाद्य) समुद्री उत्पाद का उत्पादन करना चाहती है
- .16यदि हाँ, तो भवन संरचना का विवरण :
i. आरसीसी / टाइलयुक्त छत :
ii. फर्श का प्रकार (टाइलयुक्त अथवा सीमेंट फर्श) :
iii. प्रसंस्करण क्षेत्र /पैकिंग हॉल/प्रसंस्करण-पैकिंग हॉल के क्षेत्रफल का विवरण :
क) लंबाई (मीटर में) :
ख) चौड़ाई (मीटर में) :
ग) ऊँचाई (मीटर में) :
घ) पैकिंग क्षेत्र (वर्ग मीटर में) :
- .17मक्खी-रोधी व्यवस्था का विवरण :
- .18अन्य (अखाद्य) समुद्री उत्पादों हेतु सुविधा में उपलब्ध मशीनरी, उपकरण एवं बर्तनों का विवरण :
- .19कर्मचारियों की संख्या :
क) पर्यवेक्षकीय :
ख) श्रमिक :
ग) प्रबंधकीय :
20. क्या पृथक शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं? यदि हाँ, तो क्या उनके दरवाजे स्वचालित रूप से बंद होने वाले प्रकार के हैं? :
21. क्या सुविधा केंद्र में स्वच्छ एवं शुद्ध (फ़िल्टर किया हुआ) पानी उपलब्ध कराया जाता है :
22. अन्य उत्पादित (अखाद्य) समुद्री उत्पादों का विवरण :
23. अपनाई गई प्रसंस्करण एवं संरक्षण विधियाँ (कृपया फ्लो डायग्राम संलग्न करें) :
24. 8 घंटे की एक शिफ्ट में पैक किए जा सकने वाले अन्य (अखाद्य) समुद्री उत्पादों की अधिकतम मात्रा :
25. जमा किए गए पंजीकरण शुल्क का विवरण :

आवेदक के हस्ताक्षर

[मुहर]

स्थान :

दिनांक :

प्रपत्र II (छ)
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972
(नियम 33 देखें)

अन्य समुद्री उत्पादों के हैंडलिंग (अखाद्य), प्रसंस्करण, पैकिंग एवं भंडारण की सुविधा हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र

1. आवेदक का पूरा नाम एवं पता :
2. स्वामी / साझेदार / निदेशकों का नाम एवं आवासीय पता (जैसा लागू हो) :
3. सुविधा की स्थिति (स्वामित्व / साझेदारी फर्म / प्राइवेट लिमिटेड / पब्लिक लिमिटेड कंपनी) :
4. सुविधा का स्थान :
 - i. द्वार संख्या :
 - ii. भूमि का सर्वेक्षण संख्या :
 - iii. वार्ड संख्या :
 - iv. सड़क का नाम :
 - v. तालुक एवं जिला :
5. संचार सुविधाओं का विवरण :
 - i. दूरभाष संख्या :
 - ii. फैक्स संख्या (यदि कोई हो) :
 - iii. ई-मेल पता :
 - iv. स्वामी / प्रबंध साझेदार का मोबाइल संख्या :
6. सिविल संरचना का विवरण :
 - i. आरसीसी / टाइलयुक्त छत :
 - ii. फर्श का प्रकार (टाइलयुक्त या सीमेंट) :
 - iii. प्रसंस्करण क्षेत्र / पैकिंग हॉल / प्रसंस्कृत पैकिंग हॉल क्षेत्र का आयाम :
 - क) लंबाई (मीटर में) :
 - ख) चौड़ाई (मीटर में) :
 - ग) ऊँचाई (मीटर में) :
 - घ) प्रसंस्करण / पैकिंग क्षेत्र (वर्ग मीटर में) :
7. मक्खी-रोधी व्यवस्था का विवरण :
8. पैकिंग के लिए परिसर में उपलब्ध मशीनरी, उपकरण एवं बर्तनों का विवरण :
9. कर्मचारियों की संख्या :
 - i. कुल कर्मचारी :
 - ii. पर्यवेक्षक :

- iii. श्रमिक :
- iv. प्रबंधकीय :
10. क्या अलग शौचालय की व्यवस्था हैं? यदि हाँ, तो क्या दरवाजा स्वतः बंद होने वाला है? :
11. क्या संस्थान में स्वच्छ एवं फ़िल्टर किया हुआ पानी उपलब्ध है? :
12. उत्पाद का विवरण / अपनाई गई प्रसंस्करण एवं संरक्षण विधियाँ (कृपया फ्लो डायग्राम संलग्न करें) :
13. 8 घंटे की एक शिफ्ट में पैक किए जा सकने वाले अन्य (अखाद्य) समुद्री उत्पादों की अधिकतम मात्रा :
14. जमा किए गए पंजीकरण शुल्क का विवरण :

आवेदक के हस्ताक्षर
[मुहर]

स्थान :
दिनांक :

11. मुख्य नियमों में, प्रपत्र VI (घ) के बाद निम्नलिखित प्रपत्र जोड़े जाएंगे, अर्थात् :

प्रपत्र VI (ड.)
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972
(नियम 34 देखें)

स्वैच्छिक पंजीकरण योजना के अंतर्गत स्वतंत्र सामान्य आइस प्लांटों के /पंजीकरण का प्रमाणपत्र

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या एवं दिनांक :
2. आइस प्लांट का नाम एवं पता :
3. आइस प्लांट के स्वामी (स्वामी/साझेदार/निदेशक) का नाम एवं आवासीय पता :
4. आइस प्लांट का स्थान :
- क) द्वार संख्या :
- ख) भूमि का सर्वेक्षण संख्या :
- ग) क्षेत्र/इलाका :
- घ) गली/सडक का नाम :
- ड.) वार्ड संख्या :
- च) तालुक, जिला एवं पिन कोड :
5. प्लांट में निर्मित आइस का प्रकार :
6. आइस प्लांट की क्षमता (मीट्रिक टन/दिन) :

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह स्वतंत्रसामान्य आइस प्लांट समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा / स्वीकृत मानकों के अनुरूप है तथा इसकी उत्पादन क्षमता/निर्धारित मीट्रिक टन प्रति दिन है।

पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(पदनाम मुहर)

स्थान :
दिनांक :

(प्राधिकारी की मुहर)

पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें

यह प्रमाणपत्र एमपीईडीए द्वारा स्वतंत्र/सामान्य आइस प्लांटों के पंजीकरण हेतु स्वैच्छिक योजना के प्रावधानों तथा निम्नवत शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

1. लेआउट, डिज़ाइन या क्षमता में यदि कोई परिवर्तन आवश्यक हो, तो आइस प्लांट के स्वामी को पंजीकरण अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
2. आइस प्लांट के स्वामी को स्वतंत्र/सामान्य आइस प्लांटों के पंजीकरण हेतु स्वैच्छिक योजना के सभी प्रावधानों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निदेशों का अनुपालन करना होगा।
3. आइस प्लांट के स्वामी को उत्पादन, आपूर्ति संबंध एवं उपयोग किए गए पानी तथा निर्मित आइस की गुणवत्ता आश्वासन का विवरण रखने हेतु एक गुणवत्ता आश्वासन रजिस्टर बनाए रखना होगा, जिसे प्राधिकरण के अधिकारियों को सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
4. आइस प्लांट के स्वामी को इस पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने पर इसका पुनः मान्य करवाना होगा।
5. स्वामित्व अंतरण की स्थिति में आइसप्लांट के अंतरणकर्ता को इस प्रमाणपत्र में स्वामित्व परिवर्तन का उल्लेख करवाना होगा।
6. आइस प्लांट के स्वामी को इस प्रमाणपत्र की एक प्रति प्लांट के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी।

प्रपत्र VI (च)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972

(नियम 34 देखें)

अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों के हैंडलिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग एवं भंडारण की सुविधा हेतु पंजीकरण का प्रमाणपत्र

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या एवं दिनांक :
2. प्रमाणपत्र धारक का नाम एवं आवासीय पता :
3. सुविधा धारक (स्वामी/भागीदार/निदेशक) का नाम एवं पता :
4. पैकिंग केंद्र का स्थान :
- क) द्वार संख्या :
- ख) भूमि का सर्वेक्षण संख्या :
- ग) क्षेत्र :
- घ) गली/सड़क का नाम :
- ड.) वार्ड संख्या :
- च) तालुक एवं जिला :

5. प्रसंस्कृत अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों का प्रकार :
6. 8 घंटे की एक शिफ्ट में अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों के उत्पादन एवं पैकिंग की क्षमता (किलोग्राम या मीट्रिक टन में) :
7. अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों की भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन में) :

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह सुविधा अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों के लिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित/स्वीकृत मानकों के अनुरूप है तथा इसकी उत्पादन क्षमता 8 घंटे की एक शिफ्ट में मीट्रिक टन तथा भंडारण क्षमता मीट्रिक टन है।

पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(पदनाम का मुहर)

स्थान :

दिनांक :

(प्राधिकारी की मुहर)

यह प्रमाणपत्र एमपीईडीए अधिनियम एवं नियम, 1972, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण) अधिनियम, 1963 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और पृष्ठ के पीछे उल्लिखित शर्तों के प्रावधानों के अधीन जारी किया जाता है।

पंजीकरण की शर्तें:

1. यदि लेआउट, डिज़ाइन या क्षमता में कोई परिवर्तन आवश्यक हो, तो स्वामी को इसे प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।
2. स्वामी को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों के प्रबंधन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, संरक्षण, भंडारण एवं निर्यात के संबंध में नियमों एवं निदेशों का अनुपालन करना चाहिए।
3. उत्पादों के प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग के दौरान स्वामी को केवल अनुमोदित खाद्य-श्रेणी के रसायनों/परिरक्षकों/योजकों (यदि आवश्यक हो) का ही उपयोग करना चाहिए।
4. इस स्थापना के प्रसंस्करण/पैकिंग क्षेत्र में कोई भी रसायन, डिटर्जेंट या रिपेलेट नहीं रखा जाना चाहिए।
5. इस संस्थान एवं इसके परिसर को स्वच्छ, साफ-सुथरा तथा स्वास्थ्यकर बनाए रखा जाना चाहिए।
6. स्वामी को इस प्रतिष्ठान का अनुरक्षण सदैव प्राधिकरण द्वारा निर्धारित या अपनाए गए मानकों के अनुरूप करना चाहिए।
7. स्वामी को एक रजिस्टर में दैनिक लेखा बनाए रखना चाहिए, जिसमें प्राप्त, संभाले गए, प्रसंस्कृत, पैक किए गए और निर्यात किए गए अन्य (खाद्य) समुद्री उत्पादों की मात्रा दर्शाई गई हो, और यह रजिस्टर एम्पीडा के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु मांग किए जाने पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
8. इस प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रतिष्ठान में प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
9. पंजीकरण की वैधता पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक होगी, और सुविधा केन्द्र के स्वामी को इस पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित नवीनीकरण तिथि तक करा लेना चाहिए।
10. स्वामित्व के हस्तांतरण की स्थिति में, हस्तांतरिती को इस प्रमाणपत्र में स्वामित्व परिवर्तन की पुष्टि दर्ज करवाना चाहिए।

प्रपत्र VI (छ)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1972

(नियम 34 देखें)

अन्य समुद्री उत्पादों की संभाल (खाद्य-गैर), प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण हेतु सुविधा केन्द्र के पंजीकरण का प्रमाणपत्र

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या और तिथि :
 2. संस्थान का नाम और पता :
 3. प्रमाणपत्र धारक (स्वामी/ साझेदार/निदेशक) का नाम और अवासीय पता :
 4. पैकिंग केंद्र का स्थान :
 - क) द्वार संख्या :
 - ख) प्लॉट की सर्वे संख्या :
 - ग) स्थान :
 - घ) गली/मार्ग का नाम :
 - ड) वार्ड संख्या :
 - च) तालुक और जिला :
 5. प्र 5. संस्कृत अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पादों का प्रकार, और उद्देश्यपूर्ण उपयोग :
 6. 6. घंटे की एक शिफ्ट में किलोग्राम या मीट्रिक टन में अन्य (गैर-खाद्य)समुद्री उत्पादों का उत्पादन और पैकिजिंग की सुविधा केन्द्र की क्षमता। :
 7. अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पादों की भंडारण क्षमता (मीट्रिक टन) :
- प्रमाणित किया जाता है कि अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पादों के लिए यह सुविधा केन्द्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित/अपनाए गए मानकों के अनुरूप है और यह 8 घंटे की एक शिफ्ट में अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पादों की मीट्रिक टन उत्पादन की क्षमता और मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता प्रदान करती है।

पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(पदनाम मुहर)

स्थान:

दिनांक :

(प्राधिकारी की मुहर)

यह प्रमाणपत्र एम्पीडा अधिनियम और नियमावली 1972, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षण) अधिनियम 1963 और इसके तहत बाद में बनाए गए विनियमों, तथा पृष्ठ के दूसरी ओर अंकित शर्तों के अधीन जारी किया गया है।

पंजीकरण की शर्तें:

1. यदि लेआउट, डिज़ाइन या क्षमता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक हो, तो स्वामी को प्राधिकारी से इसे अनुमोदित करवाना चाहिए।
2. स्वामी को समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पादों की संभाल, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, संरक्षण, भंडारण और निर्यात के संबंध में विनियमों या किसी अन्य निर्देशों का पालन करना चाहिए।
3. उत्पादों के प्रसंस्करण और पैकेजिंग करते समय स्वामी को केवल स्वीकृत रसायनों, परिरक्षकों/योजकों यदि आवश्यक हो का ही उपयोग करना चाहिए।
4. इस प्रतिष्ठान के प्रसंस्करण/पैकिंग क्षेत्र में किसी भी प्रकार का रसायन, डिटर्जेंट या कीट-विकर्षक पदार्थ रखा या संग्रहीत नहीं किया जाना चाहिए।
5. इस प्रतिष्ठान और इसके परिसर को साफ-सुथरा, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रखा जाना चाहिए।

6. स्वामी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह प्रतिष्ठान हमेशा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित या अपनाए गए मानकों के अनुरूप बना रहे।
7. स्वामी को एक रजिस्टर में दैनिक लेखा-जोखा रखना चाहिए, जिसमें प्राप्त, संभाले गए, पैक किए गए और निर्यातित अन्य (गैर-खाद्य) समुद्री उत्पादों की मात्रा दर्ज हो, और यह रजिस्टर एम्पीडा के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए मांगने पर उपलब्ध कराया जाएगा।
8. इस प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रतिष्ठान में प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।
9. पंजीकरण की वैधता पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से 3 वर्ष की होती है, और संस्थान के स्वामी को निर्धारित नवीनीकरण तिथि तक इस पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण कराना होगा।
10. स्वामित्व के हस्तांतरण होने की स्थिति में हस्तांतरिती को इस प्रमाणपत्र में स्वामित्व परिवर्तन की पुष्टि करवाना चाहिए।
12. मूल नियमों में, प्रपत्र X के बाद, निम्नलिखित प्रपत्र जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

“प्रपत्र XI

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972.”

[नियम 41 (1 क) देखें]

समुद्री उत्पादों के डीलर के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र

1. आवेदक का नाम और पता: :
2. डीलर की श्रेणी (निर्दिष्ट करें): :
- (क) समुद्री उत्पादों का कच्चा माल आपूर्तिकर्ता: :
- (ख) समुद्री उत्पादों का व्यापार प्रमोटर: :
- (ग) समुद्री उत्पादों का कोई अन्य डीलर: :
3. फर्म का प्रकार: :
4. फर्म का विवरण: :
- क. फर्म की स्थापना वर्ष: :
- ख. क्या यह स्वामित्व / साझेदारी या लिमिटेड कंपनी है : :
- ग. साझेदारों या निदेशकों के नाम और संपर्क विवरण : :
- घ. ईमेल / वेबसाइट विवरण: :
- ड. कोई अन्य सूचना: :
5. कोई अतिरिक्त सूचना: :

आवेदक के हस्ताक्षर

[मुहर]

स्थान:

दिनांक :

प्रपत्र XII

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1972।

(नियम 42 देखें)

समुद्री उत्पादों के डीलर के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र

1. आवेदक का नाम और पता :
2. डीलर की श्रेणी (निर्दिष्ट करें) :
 - क) समुद्री उत्पादों का कच्चा माल आपूर्तिकर्ता :
 - ख) समुद्री उत्पाद व्यापार प्रमोटर :
 - ग) समुद्री उत्पादों में कोई अन्य डीलर :
3. फर्म का प्रकार :
4. फर्म का विवरण :
5. कोई अतिरिक्त सूचना :

पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
(पदनाम मुहर)

स्थान:

दिनांक :

(प्राधिकारी की मुहर)

डीलर के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र की शर्तें

1. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियमावली, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत, समय-समय पर यथासंशोधित सहित, प्रदान किया जाता है।
2. धारक डीलर के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23/07/2004 को जारी किए दिशानिर्देशों का जो समय-समय पर यथासंशोधित पालन करेगा।
3. डीलर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा आपूर्ति किए गए समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 21) की धारा 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों तथा समय-समय पर यथासंशोधित उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप हो।
4. डीलर को खरीद, पैकिंग, परिवहन, स्वच्छता तथा अन्य स्वास्थ्यकर आवश्यकताओं से संबंधित भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, निर्यात निरीक्षण एजेंसी तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नियमों, विनियमों और निर्देशों का पालन करना होगा।
5. प्रमाणपत्र को धारक द्वारा किसी भी प्रकार की चूक या लापरवाही के लिए, चाहे वह गुणवत्ता संबंधी मामलों के संदर्भ में हो या व्यापार से संबंधित मामलों के लिए, जिसमें धोखाधड़ी भी शामिल है, चाहे विक्रेता को उत्तरदायी ठहराया गया हो, निरस्त किया जा सकता है।
6. पंजीकरण तब अमान्य हो जाएगा यदि धारक, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23/07/2004 के दिशानिर्देशों, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया जाता है, के अंतर्गत डीलर के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु ऐसे पंजीकरण का हकदार नहीं रह जाता है।
7. प्रमाण पत्र धारक को समुद्री उत्पादों के लेन-देन से संबंधित सभी दस्तावेजों में फर्म का नाम और एम्पीडा पंजीकरण संख्या दर्शानी होगी।
8. डीलर को उन अन्य निर्देशों का पालन करना होगा जो समय-समय पर भारत सरकार, प्राधिकरण, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण एजेंसी द्वारा जारी किए जा सकते हैं।”

[फा. सं. 1/1/2025 – ईपी (एमपी) भाग]

प्रिया पी. नायर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th June, 2026

G.S.R. 456(E).—In exercise of the powers conferred by section 33 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, namely:-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called the Marine Products Export Development Authority (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972 (hereinafter referred to as principal rules) for rule 33, the following rule shall be substituted, namely:-

“Application for Registration.—(1) Every application for the registration of –

- (a) a fishing vessel;
- (b) a processing plant;
- (c) storage premises for marine products;
- (d) conveyance used for the transport of marine products;
- (e) peeling shed;
- (f) fresh, chilled, live or dried fish handling centre;
- (g) independent or common ice plant;
- (h) other edible marine products handling centre; or
- (i) other non – edible marine products handling centre,

shall be made to the Secretary, Marine Products Export Development Authority in Form I, Form II, Form III, Form IV, Form II (a), Form II (b), Form II (c) , Form II (d), Form II (e), Form II (f), or Form II(g), as the case may be.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by the fee specified in column (3) against the forms specified in column(2), of the following table namely:-

Table

S. No.	Forms	Fee
(1)	(2)	(3)
I	Online application for registration	
(1)	For Form II, II(a), II (b), II (c), II (d), II (e), II (f), II (g), III, IV, IX, XI	₹ 200
(2)	For application of Fishing vessel (Form I)	₹ 100
II	Registration of exporter (Form X)	
(1)	Exporter registration Fee	₹ 5000
III.	Registration of dealer (Form XII)	
(1)	Dealer registration Fees	₹ 5000
IV	Fishing vessel (Form V)	
(1)	Registration of Fishing vessel up to 45 ft in length	₹ 1000
(2)	Registration of Fishing vessels of OAL 45 ft and above	₹ 2000
V	Storage (Form VII)	
(1)	Chilled and Frozen storage up to and including 50 T capacity	₹ 3000
(2)	Chilled and Frozen storage above and including 50 T capacity	₹ 5000
(3)	Other than chilled and Frozen storage up to and including 50T capacity	₹ 1000
(4)	Other than Chilled and Frozen storage above 50 T capacity	₹ 2000
VI	Processing Plant (Form VI)	
(1)	Processing Plant with processing capacity to handle up to and including 5T of raw material (per 8 hr shift)	₹ 2500
(2)	Processing Plant with processing capacity to handle above 5T of raw material (per 8 hr shift)	₹ 5000
VII	Peeling Shed (Form No. VI (a))	

(1)	Peeling shed with a capacity to handle up to and including 5 tonnes raw material per 8 hour shift	₹ 1500
(2)	Peeling shed with a capacity to handle above 5 tonnes of raw material per 8 hour shift	₹ 3000
VIII	Independent/Common Ice Plant (Form No. VI(e))	
(1)	Fee for registering Ice Plant up to 10 MT/day	₹500
(2)	Fee for registering Ice Plant above 10 MT/day	₹1000
IX	Handling centre (Form No. VI(b), Form No. VI (c), Form No. VI (d))	
(1)	Handling Centre with a capacity to handle up to and including 5 Tons of Fresh/Chilled Fish per 8 Hours shift	₹ 1500
(2)	Handling Centre with a capacity to handle above 5 Tons of Fresh/Chilled Fish per 8 Hours shift	₹ 3000
(3)	Handling Centre with a capacity to handle live fish in a volume up to 5 M3 per 8 Hours shift	₹ 1500
(4)	Handling Centre with a capacity to handle live fish in a volume above 5 M3 per 8 Hours shift	₹ 3000
(5)	Handling Centre with a capacity to handle up to and including 1 tonne of dried/salted marine products 8 Hours shift	₹ 1500
(6)	Handling Centre with a capacity to handle above 1 tonne of dried/salted marine products 8 Hours shift	₹ 3000
(7)	Handling Centre with production capacity up to and including 1 ton in a shift of 8 hours of Other (Edible) Marine Products	₹ 3000
(8)	Handling Centre with production capacity of more than 1 ton in a shift of 8 hours of Other (Edible) Marine Products	₹ 6000
(9)	Handling Centre with production capacity up to and including 1 ton in a shift of 8 hours of Other (Non-Edible) Marine Products	₹ 2000
(10)	Handling Centre with production capacity of more than 1 ton in a shift of 8 hours of Other (Non-Edible) Marine Products	₹ 4000
X	Conveyance (Form VIII)	
(1)	Per conveyance	₹ 1500
XI	Renewal of registration	
(1)	All renewals except Fishing Vessels up to 20 m OAL	₹ 1000
(2)	Renewals except Fishing Vessels up to 20 m OAL	₹ 250
(3)	Renewal of Ice Plant	₹250
(4)	Renewal of Handling Centre with production capacity up to and including 1 ton in a shift of 8 hours of Other (Edible) Marine Products	₹1500
(5)	Renewal of Handling Centre with production capacity more than 1 ton in a shift of 8 hours of Other (Edible) Marine Products	₹3000
(6)	Renewal of Handling Centre with production capacity up to and including 1 ton in a shift of 8 hours of Other (Non-Edible) Marine Products	₹1000
(7)	Renewal of Handling Centre with production capacity more than 1 ton in a shift of 8 hours of Other (Non-Edible) Marine Products	₹2000
(8)	Renewal of Dealer Registration	₹ 1000
XII	Endorsement in the certificate of registration as an exporter	
(1)	Endorsement of utilization of processing plant/handling facility/storage premise etc. in the certification of registration as a merchant exporter	₹ 5000
(2)	Endorsement of Merchant/ Manufacturer exporters name in the certificate of processing plant / handling facility / storage premises etc.	₹ 5000
(3)	Endorsement of pre-mature cancellation of processing agreement with a processing plant/handling facility in the certificate of registration as an exporter	₹ 5000
(4)	Endorsement of pre-mature cancellation of processing agreement with an exporter in the certificate of processing plant /handling facility	₹ 5000
(5)	Endorsement of pre-mature cancellation of storage agreement with an exporter in the certificate of storage premises	₹ 5000
(6)	Any other endorsement not covered above in respect of registration	₹ 1000
XIII	Transfer of Entities	
(1)	Transfer of processing plant, storage Premises or conveyance, fishing vessel by way of sale, mortgage or other-wise	₹ 1000
XIV	Change of details included in the certificate of registration of fishing vessel	
(1)	Change of details in the certificate of registration of all entities except fishing vessels up to 20 m OAL	₹ 1000
(2)	Change of details in the certificate of registration of fishing vessels up to 20 m OAL	₹ 250
XV	Change in the certificate of registration of fishing vessels, processing plant etc.	
(1)	Any endorsement on the certificate of registration of fishing vessels up to 20 m OAL	₹ 250
(2)	Endorsement or registration of processing plant	₹ 1000

(3)	Endorsement of change of ownership of production entities	₹ 1000
(4)	Endorsement of change of any other details included in the certificate of registration except in respect of fishing vessels up to 20 Mtrs OAL	₹ 1000
(5)	Change of hypothecation/lien noting of financial institutions except in respect of fishing vessels up to 20 Mtrs OAL	₹ 1000
(6)	Endorsement of lessee in the certificate of registration of processing plants	₹ 1000
(7)	Endorsement of Handling Centre with production capacity up to and including 1 ton in a shift of 8 hours of Other (Edible) Marine Products	₹ 1000
(8)	Endorsement of Handling Centre with production capacity more than 1 ton in a shift of 8 hours of Other (Edible) Marine Products	₹ 2000
(9)	Endorsement of Handling Centre with production capacity up to and including 1 ton in a shift of 8 hours of Other (Non-Edible) Marine Products	₹ 1000
(10)	Endorsement of Handling Centre with production capacity more than 1 ton in a shift of 8 hours of Other (Non-Edible) Marine Products	₹ 2000
(11)	Endorsement in Dealer Registration Certificate	₹ 1000
(12)	Endorsement of additional capacity	₹ 1000
(13)	Endorsement of change in the constitution of a firm/company	₹ 1000
(14)	Any other endorsement	₹ 1000".

3. In the principal rules, in rule 34 for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) Where an application for registration is accepted, a certificate of registration shall be granted in appropriate forms, namely, Form V, Form VI, Form VII, Form VIII, Form VI (a), VI (b), VI (c), VI (d), VI (e), VI (f) or VI (g), as the case may be, and shall be subject to the terms and conditions specified in the respective certificate.”.

4. In the principal rules, in rule 38, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:

“**38. Transfer of ownership of registered entities.** – (1) Where any entity registered under rule 33 is transferred by way of sale, mortgage or any other method, the transferee shall, within one month from the date of such transfer, apply to the Secretary, Marine Products Export Development Authority for registering the transfer, accompanied by the instruments or the document evidencing such transfer.”.

5. In the principal rules, in rule 39, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) Where, during the period in which the registration of an entity under rule 33 is in force, the owner thereof intends-

- to change place where the entity is located;
- to alter the layout as approved by the Authority;
- to effect any change in its capacity or otherwise; or
- to change the place of operation of a fishing vessel or conveyance,

the owner shall apply to the Secretary, Marine Products Export Development Authority at least thirty days in advance of such intended change.”.

6. In the principal rules, in rule 41,- (i) after sub-rule (1), the following shall be inserted, namely:-

“(1A) Every application for registration as a dealer of marine products, other than an exporter, shall be made to the Secretary, Marine Products Export Development Authority in Form XI available online, on payment of fee of rupees two hundred only and shall be accompanied by a certificate showing the financial status of the applicant from any bank.”;

(ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) Every application for registration under sub-rules (1) and (1A) shall be accompanied by fee of rupees five thousand only.”.

7. In the principal rules, in rule 42, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) Where an application for registration is accepted, the Secretary, Marine Products Export Development Authority shall grant a certificate of registration in Form X or Form XII, as the case may be, subject to conditions specified therein.”.

8. In the principal rules, rule 43 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered the following sub-rules shall be inserted, namely:-

“(2) Where the Secretary, Marine Products Export Development Authority is satisfied that any person has obtained a certificate of registration by furnishing false information or has contravened any of the provisions of these rules or conditions mentioned in the certificate of registration, such person thereby becomes disqualified to continue as a dealer.

(3) The Secretary, Marine Products Export Development Authority may, after giving such person a reasonable opportunity of being heard, by order, cancel the registration and communicate a copy of such order.”.

9. In the principal rules, for rule 45, the following rule shall be substituted, namely:-

“45. **Maintenance of records.-** The Secretary, Marine Products Export Development Authority shall maintain online records of all the registered entities including particulars of registration, amendments, transfers, cancellations and conditions attached thereto .”.

10. In the principal rules, after FORM II(d), the following forms shall be inserted, namely:-

“FORM II (e)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972.

(See Rule 33)

Form of application for registration of independent / common ice plants under the voluntary registration scheme

1. GENERAL INFORMATION

- 1.1 Name and address of the ice plant :
- 1.2 Name and address of the ice plant owner :
- 1.3 Status of the independent / common ice plant (Proprietary / Partnership firm / Private limited / Public limited company) :
- 1.4 Location of the independent /common Ice Plant :
- a) Door No. :
- b) Survey No. of the plot :
- c) Ward Number :
- d) Name of Street / road :
- e) Taluk, District and Pin Code :
- 1.5 Details of communication facilities :
- a) Telephone numbers :
- b) Fax number, if any :
- c) E-mail address, if any :
- 1.6 Is there on line quality assurance system for the production of ice in the ice plant :
- 1.7 Number of employees in the ice plant :
- a) Supervisory :
- b) Workers :

2. SURROUNDINGS

- 2.1. Is the ice plant situated in a site free from stagnant waters and normally free from environmental pollutants :
- 2.2. Are the approach roads and surroundings good to prevent the risk of contaminating the ice produced in the ice plant :
- 2.3. Is there a cartilage (i.e. a compound wall to enclose the land) to the ice plant premises :

3. ICE PLANT

- 3.1. Specify the type of ice manufactured in the unit (block ice, rapid block ice, flake ice, plate ice or tube ice) :
- 3.2. Capacity of the ice plant (MT/ day) :
- 3.3. Details of the civil structure :
- a) RCC / tiled roofing :
- b) Dimensions of the ice plant :
- (i) Length in Metres :
- (ii) Breadth in Metres :
- (iii) Height in Metres :
- 3.4. Dimensions of the ice tank :
- i) Length in Metres :
- ii) Breadth in Metres :
- iii) Height in Metres :
- 3.5. Dimensions of the ice can :
- i) Length in Metres :
- ii) Breadth in Metres :
- iii) Height in Metres :
- 3.6. Specify whether the ice cans are made from non-corrodible and non-contaminating material? :
- 3.7. Are the ice cans provided with lids made of non-corrodible and non-contaminating materials? :

- 3.8. Is the ice production area protected from birds, animals and rodents? :
- 3.9. Are there provisions to harvest ice hygienically? :
- 3.10. Are there provisions to store the ice hygienically? :
- 3.11. Are there provisions to transport ice hygienically? Give details of the facility :
- 3.12. What is the refrigerant used in the ice plant? :
- 3.13. If freon is used as a freezant, whether adequate steps have been taken to prevent the leakage of freezant to the minimum extent possible :
- 3.14. Details of machinery and amenities :
- I. No. of compressors with capacity and make : :
- II. No. of motors with its capacity and make : :
- III. No. of water pumps with its capacity and make : :
- IV. Condenser with its capacity and make : :
- V. Specify other items, if any : :
- 3.15. a) Whether the design and lay-out of the ice plant permits good hygienic practices, including protection against cross contamination : :
- b) Whether a copy of the lay-out attached along with the application : :
- 3.16. Are the surfaces which will come into contact with ice and the water used for making ice durable, smooth, non-absorbent, non-toxic and easy to clean and disinfect :

4. WATER

- 4.1. What is the source of water used for ice production in the ice plant? :
- 4.2. Whether potability certificate of water used for ice production obtained from the CIFT or MPEDA or any other competent agency is attached? :
- 4.3. Are there separate plumbing systems for water used for ice production and water used for cleaning, fire-fighting etc. If so, whether a copy of the plumbing diagram attached with the application :

5. HYGIENIC AND SANITARY CONDITIONS

- 5.1. Whether toilets are provided in the ice plant. If so, whether the door is of self-closing type :
- 5.2. Whether soaps, disinfectants and towels are provided :
- 5.3. Are there workers' change rooms :

6. PERSONNEL HYGIENE

- 6.1. Whether hand and feet washing facilities are provided : :
- 6.2. Whether workers have been provided with gumboots, gloves, and clean work clothes : :
- 6.3. Whether the workers are free from contagious diseases : :

7. MAINTENANCE, CLEANING AND DISINFECTION

- 7.1. Whether machinery, cans and ice block harvesting devices are properly maintained and kept clean : :

8. RECORDS

- 8.1. Whether a register with details on the production, linkage for supply and quality assurance of the water and ice is maintained : :
- 8.2. Whether the water used for manufacturing ice and ice produced in the ice plant are being tested periodically for necessary microbiological parameters and certificate to that effect kept in the ice plant : :

9. ANY OTHER INFORMATION

- 9.1. Whether No Objection Certificate to run the ice plant has been obtained from the local body : :
- 9.2. Whether the registration fee has been paid. If so, give details : :

Signature of the applicant
[Seal]

Place :

Date :

FORM II (f)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972.

(See Rule 33)

Form of application for registration of a facility for handling, processing, packing and storage of other (edible) marine products

1. Name and Address of the applicant in full :
2. Name and residential address of the Proprietor / Partners / Directors as the case may be :
3. Status of the Facility (Proprietary / Partnership firm or private limited / public limited company) :
4. Location of the facility :
 - i. Door No. :
 - ii. Survey No. of the plot :
 - iii. Ward Number :
 - iv. Name of street :
 - v. Taluk and District :
5. Details of communication facilities :
 - i. Telephone numbers :
 - ii. Fax number, if any :
 - iii. E-mail address :
 - iv. Mobile no. of Proprietor/Managing partner :
6. Details of the civil structure :
 - i. RCC / tiled roofing :
 - ii. Type of flooring (tiled or cement flooring) :
 - iii. Dimensions of the processing area/packing hall/ Processing Packing hall-area. :
 - a) Length in Meters :
 - b) Breadth in Meters :
 - c) Height in Meters :
 - d) Processing / Packing area in M² :
7. Details of the fly-proofing arrangement :
8. Details of machinery, equipment and utensils available in the facility for other (edible) marine products :
9. Number of employees :
 - a. Number of employees :
 - b. Supervisory :
 - c. Workers :
 - d. Managerial :
10. Whether separate toilets have been provided? If so, whether the door is of self-closing type? :
11. Whether potable water facility is provided in the facility (as per IS4251:2015) :
12. Details of other (edible) marine product produced :
13. Processing & preservation methods adopted(Please attach flow diagram) :
14. Maximum quantity of Other (Edible) marine products that can be packed in a shift of 8 hours :
15. Whether the facility intend to produce other (Non-edible) marine product out of the waste material generated from processing Other (Edible) marine products mentioned as per sl. no. 12 above. Yes / No
16. If yes, Details of the civil structure

- i. RCC / tiled roofing :
- ii. Type of flooring (tiled or cement flooring) :
- iii. Dimensions of the processing area /packing hall/s Processing Packing hall area :
- a) Length in Meter :
- b) Breadth in Meter :
- c) Height in Meter :
- d) Packing area in M² :
17. Details of the fly-proofing arrangement :
18. Details of machinery, equipment and utensils available in the facility for other (non-edible) marine products :
19. Number of employees :
- a) Supervisory :
- b) Workers :
- c) Managerial :
20. Whether separate toilets have been provided? If so, whether the door is of self-closing type? :
21. Whether clean, filtered water is provided in the facility :
22. Details of other (non-edible) marine product produced :
23. Processing & preservation methods adopted (Please attach flow diagram) :
24. Maximum quantity of Other (non-Edible) marine products that can be packed in a shift of 8 hours :
25. Details of registration fees paid :

Signature of the applicant
[Seal]

Place :
Date :

FORM II (g)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972. (See Rule 33)

Form application for registration of a facility for handling, processing, packing and storage of other (non-edible) marine products

1. Name and Address of the Applicant in full :
2. Name and residential address of the Proprietor / Partners / Directors as the case may be :
3. Status of the Facility (Proprietary / Partnership firm or private limited / public limited company) :
4. Location of the facility :
- i. Door No. :
- ii. Survey No. of the plot :
- iii. Ward Number :
- iv. Name of street :
- v. Taluk and District :
5. Details of communication facilities :
- i. Telephone numbers :
- ii. Fax number, if any :
- iii. E-mail address :
- iv. Mobile no. of Proprietor/Managing partner :
6. Details of the civil structure :
- i. RCC / tiled roofing :
- ii. Type of flooring (tiled or cement flooring) :
- iii. Dimensions of the processing area/ packing hall/ Processing Packing hall-area. :
- a) Length in Meters :

- b) Breadth in Meters :
- c) Height in Meters :
- d) Processing / Packing area in M² :
7. Details of the fly-proofing arrangement :
8. Details of machinery, equipment and utensils available in the premise for packing. :
9. Number of employees :
- i. Number of employees :
- ii. Supervisory :
- iii. Workers :
- iv. Managerial :
10. Whether separate toilets have been provided? If so, whether the door is of self-closing type? :
11. Whether clean, filtered water is provided in the establishment? :
12. Details of product / Processing & preservation methods adopted. (Please attach flow diagram) :
13. Maximum quantity of Other (Non-Edible) marine products that can be packed in a shift of 8 hours :
14. Details of registration fees paid :

Signature of the applicant
[Seal]

Place:

Date:”.

11. In the principal rules, after FORM VI (d) the following Forms shall be inserted, namely:-

“FORM VI (e)

**THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972.
(See Rule 34)**

Certificate of registration of independent/common ice plants under the voluntary registration scheme

1. Number and date of the certificate of registration :
2. Name and address of the ice plant :
3. Name and residential address of the ice plant owner (Proprietor /Partners / Director) :
4. Location of the ice plant :
- a) Door No. :
- b) Survey no. of the Plot :
- c) Locality :
- d) Name of street / Road :
- e) Ward number :
- f) Taluk and District and PIN code :
5. Type of ice made in the plant :
6. Capacity of the ice plant in MT/ day :

Certified that this Independent / Common ice plant conforms to the standards prescribed / adopted by the Marine Products Export Development Authority and has a manufacturing capacity of MT/Day.

Signature of the registering officer

(Designation Seal)

Place:

Date :

(Seal of the Authority)

CONDITIONS OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION

This certificate is issued subject to the provisions of the voluntary scheme of MPEDA for registration of independent/common ice plants and the conditions inscribed hereunder.

1. In case any change in the layout, design or capacity is required, the ice plant owner shall get it approved by the Registering Officer.
2. The ice plant owner shall comply with all the provisions of the voluntary scheme for registration of independent/common ice plants and any regulations or instructions that may be issued by the Authority from time to time.
3. The ice plant owner shall maintain a quality assurance register denoting the production, linkage for supply, and the quality assurance of the water used and ice produced in the ice plant, which shall be made available to officers of the Authority for verification.
4. The ice plant owner shall get this certificate of registration revalidated on the expiry of its validity.
5. The transferee of the ice plant shall get the change of ownership endorsed in this certificate, in case the ownership is transferred.
6. The ice plant owner shall display a copy of this certificate in a prominent area in the ice plant.

FORM VI (f)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972.

(See Rule 34)

Certificate of registration of facility for handling, processing, packing and storage of other (edible) marine products

1. Number and date of the certificate of registration :
2. Name and residential address of the certificate holder :
3. Name and address of the facility holder (Proprietor /Partner / Director) :
4. Location of the packing centre :
 - a) Door No. :
 - b) Survey no. of the plot :
 - c) Locality :
 - d) Name of Street / Road :
 - e) Ward Number :
 - f) Taluk and District :
5. Type of Other (Edible) marine products processed :
6. Capacity of the facility to produce & pack Other (Edible) marine products in a shift of 8 hours in kg or MT :
7. Storage capacity of Other (Edible) marine products (MT) :

Certified that this facility for Other (edible) marine products conforms to the standards prescribed / adopted by the Marine Products Export Development Authority and provides for a production capacity of MT of Other (edible) marine products in a shift of 8 hours and a storage capacity ofMT.

Signature of the registering officer

(Designation Seal)

Place:

Date :

(Seal of the Authority)

This certificate is issued subject to the provisions of the MPEDA Act and Rules 1972, the Export (Quality Control Inspection) Act 1963 and the subsequent Rules made thereof, and the conditions inscribed overleaf.

CONDITIONS OF REGISTRATION:

1. In case of any change in the layout, design or capacity is required, the owner should get it approved by the Authority.
2. The owner should comply with the regulations or any other instructions, in respect of handling, processing, packaging, preservation, storage and export of Other (Edible) marine products, issued by the Authority, from time to time.
3. The owner should use only the approved and food grade chemicals/ preservatives/ additives, if any required, while processing and packaging the products.
4. No chemical, detergent or repellent should be kept or stored in the processing /packing area of this establishment.
5. This establishment and its premises should be kept neat and tidy, sanitarily, and hygienically.
6. The owner should maintain this establishment always conforming to the standards prescribed or adopted by the Authority.
7. The owner should maintain a day-to-day account in a register showing the quantity of Other (Edible) marine products received, handled, processed, packed and exported and the register should be made available for inspection by officers of the MPEDA on demand.
8. A copy of this certificate should be prominently displayed in the establishment.
9. The validity of the Registration is for 3 years from the date of issue of Registration certificate, and the owner of the facility should get this certificate of registration renewed by the prescribed date for renewal.
10. In case the ownership is transferred, the transferee should get the change of ownership endorsed in this certificate.

FORM VI (g)

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972.

(See Rule 34)

Certificate of registration of facility for handling, processing, packing and storage of other (non-edible) marine products

1. Number and date of the certificate of registration :
2. Name and address of the facility :
3. Name and residential address of the certificate holder (Proprietor /Partner / Director) :
4. Location of the packing centre :
 - a) Door No. :
 - b) Survey no. of the plot :
 - c) Locality :
 - d) Name of Street / Road :
 - e) Ward Number :
 - f) Taluk and District :
5. Type of Other (Non-Edible) marine products processed & intended use :

6. Capacity of the facility to produce & pack Other (Non-Edible) marine products in a shift of 8 hours in Kg or MT :
7. Storage capacity of Other (Non-Edible) marine products (MT) :

Certified that this Facility for Other (Non-edible) marine products conforms to the standards prescribed / adopted by the Marine Products Export Development Authority and provides for a production capacity of MT of Other (Non-edible) marine products in a shift of 8 hours and a storage capacity ofMT.

Signature of the registering officer
(Designation Seal)

Place:

Date :

(Seal of the Authority)

This certificate is issued subject to the provisions of the MPEDA Act and Rules 1972, the Export (Quality Control Inspection) Act 1963 and the subsequent Rules made thereof, and the conditions inscribed overleaf.

CONDITIONS OF REGISTRATION:

1. In case of any change in the layout, design or capacity is required, the owner should get it approved by the Authority.
2. The owner should comply with the regulations or any other instructions, in respect of handling, processing, packaging, preservation, storage and export of Other (Non-edible) marine products, issued by the Authority, from time to time.
3. The owner should use only the approved chemicals, preservatives/ additives, if any required, while processing and packaging the products.
4. No chemical, detergent or repellent should be kept or stored in the processing / packing area of this establishment.
5. This establishment and its premises should be kept neat and tidy, Sanitary and Hygienic.
6. The owner should maintain this establishment always conforms to the standards prescribed or adopted by the Authority.
7. The owner should maintain a day-to-day accounts in a register showing the quantity of Other (Non-edible) marine products received, handled packed and exported and the register shall be made available for inspection by officers of the MPEDA on demand.
8. A copy of this certificate should be prominently displayed in the establishment.
9. The validity of the Registration is for 3 years from the date of issue of Registration certificate, and the owner of the facility shall have this certificate of registration renewed by the prescribed date for renewal.
10. The transferee should get the change of ownership endorsed in this certificate, in case the ownership is transferred”.
12. In the principal rules, after FORM X, the following Forms shall be inserted, namely:-

“FORM XI

THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972.

[See Rule 41 (1 A)]

Form of application for registration as dealer of marine products

1. Name and address of the applicant: :
2. Category of dealer, (specify): :
- (a) Raw material supplier of marine products: :
- (b) Marine products trade promoter: :
- (c) Any other dealer in marine products: :

3. Type of firm: :
4. Details of the firm: :
 - a. Year of establishment of the firm: :
 - b. Whether Proprietary. / Partnership or Limited Company : :
 - c. Name and contact details of Partners or Directors : :
 - d. Email/ website details: : :
 - e. Any other information: : :
5. Any additional information: :

Signature of the applicant

[Seal]

Place :

Date :

FORM XII
THE MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY RULES, 1972.
(See Rule 42)

Certificate of registration as dealer of marine products

1. Name and Address of the Applicant :
2. Category of Dealer, (specify): :
 - a) Raw material supplier of marine products : :
 - b) Marine products trade promoter : :
 - c) Any other dealer in marine products : :
3. Type of firm :
4. Details of the Firm :
5. Any additional information :

Signature of the Registering Officer
 (Designation Seal)

Place:

Date :

(Seal of the Authority)

CONDITIONS OF THE CERTIFICATE OF REGISTRATION AS DEALER

1. This certificate of registration is granted subject to the provisions of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, as amended from time to time.
2. The holder will abide by the Guidelines dated 23/07/2004 of Marine Products Export Development Authority for issue of Certificate of Registration as a dealer, as amended from time to time.
3. The dealer shall ensure that the quality of the marine products supplied by him conform to the specifications recognized by the Central Government under section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963 (21 of 1963) and Rules, regulations and instructions there under, as amended from time to time.
4. The dealer shall conform to the rules, regulations and instructions issued by the Export Inspection Council of India, Export Inspection Agency and the Authority from time to time in respect of procurement, packing, transportation, sanitary and other hygienic requirements.
5. The certificate is liable to be cancelled for any act of omission or commission by the holder, either in respect of quality issues or for trade related issues, including cheating, whether the complaint can be attributed to the dealer.
6. The registration shall cease to be valid if the holder becomes no longer entitled to such registration under the provisions of the Guidelines dated 23/07/2004 of Marine Products Export Development Authority for the issuance of a Certificate of Registration as a dealer, as amended from time to time.

7. The certificate holder shall indicate the name of the firm & MPEDA registration No. in all the documents related to dealing of marine products.
8. The dealer shall comply with such other instructions as may, from time to time be issued by the Government of India, the Authority, the Export Inspection Council of India and the Export Inspection Agency.”.

[F. No. 1/1/2025 – EP (MP) Pt.]

PRIYA P. NAIR, Economic Adviser